

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,
लखनऊ – 226010

संख्या- 146/05/कम्प्यूटर अनुभाग(बारह)/2025/01-परीक्षा/2025

लखनऊ : दिनांक : 11 सितम्बर, 2025

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2025, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा दिनांक 06 व 07 सितम्बर, 2025 को प्रत्येक दिन दो पालियों में प्रदेश के 48 जनपदों में आयोजित की गयी थी।

तत्क्रम में उक्त लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की तिथि व पालीवार Provisional उत्तर कुंजियां आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 09-09-2025 द्वारा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी थी।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबन्धित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 09-09-2025 को प्रकाशित मास्टर सेट की तिथि व पालीवार Provisional उत्तर कुंजियों पर यदि कोई आपत्ति हो तो वह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध तिथि व पालीवार आपत्ति दर्ज करने सम्बन्धी निम्नलिखित लिंक पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है-

06-09-2025 – Shift 1 – <https://pet2025-06092025-shift1.answer-objections.com/>

06-09-2025 – Shift 2 – <https://pet2025-06092025-shift2.answer-objections.com/>

07-09-2025 – Shift 1 – <https://pet2025-07092025-shift1.answer-objections.com/>

07-09-2025 – Shift 2 – <https://pet2025-07092025-shift2.answer-objections.com/>

सम्बन्धित अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने हेतु निम्नलिखित चरण/ प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं-

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES:

Kindly read the following instructions carefully before submitting objections:

1. This portal provides you with a platform to raise objections against the questions asked in 01-Exam/2025 Preliminary Eligibility Test (PET) - 2025, conducted on 06-09-2025 and 07-09-2025 in 4 shifts.
2. Objections can be raised against the provisional answer keys provided in the Master Set published on Commission's website.
3. To submit objections, first Log into the Objection Window by entering your registration number, roll number, date of birth, captcha and then Click on the "Sign in" Button. After this, "Instructions for Candidates" page will open.
4. Read the instructions carefully, select the checkbox and click "Continue". Next, select the question against which the objection has to be raised and register your objection.
5. Candidates must register their objection by selecting their answer from the dropdown menu in the objection window. Then after, candidate shall provide a description of the objection in the text box provided therein.
6. Candidates must upload the document supporting their objection in the form of pdf file (with a file size of less than 5MB).
7. Candidates can submit one or more than one objection, and an objection fee of Rs. 100 per objection will need to be paid online for successful submission. To do this, candidates will have to click on the "Final Submission" option. Candidates can view the submitted objections by clicking on the "Acknowledgement" button. They can also print the objection summary by clicking the print icon.

(Signature)

8

8. Once the payment process is completed successfully, no modifications will be allowed to the objections submitted.
9. Please note that the sequence of questions and their answers is based on the Provisional answer key published on the Commission's website.
10. Candidates can file objections online **ONLY ONCE** and through the link provided on the Commission's website within the specified time period. Objections sent through any other medium shall not be entertained.

अभ्यर्थियों हेतु निर्देशः

आपत्तियाँ दर्ज करने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

1. यह पोर्टल आपको दिनांक 06-09-2025 व 07-09-2025 को चार पालियों में आयोजित की गयी 01-परीक्षा/2025, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्तियाँ दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
2. आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए मास्टर सेट की औपबन्धिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
3. आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए पहले आप पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, जन्मतिथि, कैप्चा और इसके पश्चात "Sign in" बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात "अभ्यर्थियों हेतु निर्देश" सम्बन्धी पेज प्रदर्शित होगा।
4. निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, चेक बॉक्स का चयन करें और "Continue" पर क्लिक करें। इसके पश्चात, उस प्रश्न का चयन करें जिसके संबंध में आपत्ति दर्ज करनी है, तत्पश्चात, आपत्ति दर्ज करें।
5. अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो में दर्शित ड्रॉपडाउन मेन्यू में से अपने उत्तर का चयन करना होगा। तत्पश्चात, अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का विवरण देना होगा।
6. अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट पी.डी.एफ.फाइल (जो 5 MB से कम आकार की हो) में अपलोड करना होगा।
7. अभ्यर्थी एक या एक से अधिक आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं और प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपए का आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा जिससे कि आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज हो सके। ऐसा करने के लिए, "Final Submission" विकल्प पर क्लिक करें। अभ्यर्थी "Acknowledgement" बटन पर क्लिक करके अपनी दर्ज की गयी आपत्तियाँ देख सकते हैं। वे प्रिंट आइकन पर क्लिक करके दर्ज की गयी आपत्तियों के विवरण का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।
8. भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद दर्ज की गई आपत्तियों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
9. कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों का क्रम एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबन्धिक उत्तर कुंजी के अनुसार हैं।
10. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में ही **मात्र एक बार** ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से भेजी गयी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी उपर्युक्त लिंक के माध्यम से ही मास्टर सेट की तिथि व पालीवार Provisional उत्तर कुंजियों पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा- डाक/प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में दी गयी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। सूच्य है कि आपत्ति दर्ज करने की अन्तिम तिथि 17-09-2025 है। उक्त तिथि के उपरान्त आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।


11.09.2025
परीक्षा नियंत्रक,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

